and the Ministry of Environment, Forest and Climate Change to provide full waiver on payment of CA and NPV so that NIT, Mizoram can resume the infrastructural development of its campus at Lengpui at the earliest and without further delay. Thank you, Sir, for giving me this opportunity.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The hon. Member, Dr. John Brittas (Kerala) associated himself with the matter raised by the hon. Member, Shri K. Vanlalvena (Mizoram).

Shrimati Jebi Mather Hisham; not present. Dr. Kalpana Saini, 'Need for a legal framework to regulate the harmful contents on social media platforms.'

Need for a legal framework to regulate the harmful contents on social media platforms

डा. कल्पना सैनी (उत्तराखंड): माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपका ध्यान एक अत्यंत गंभीर विषय की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ, जो आज के डिजिटल युग में समाज के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है और वह है - सोशल मीडिया पर बढ़ती गाली-गलौज, अभद्र भाषा और साइबर बदसलूकी।

माननीय उपसभापति महोदय, आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे- फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सऐप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्वपूर्ण माध्यम हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इनका गाली-गलौज, धमकी, ट्रोलिंग, साइबर बुलिंग और असत्य सूचनाएं फैलाने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है। आम नागरिकों के साथ-साथ महिलाएं, पत्रकार, राजनैतिक और सामाजिक कार्यकर्ता आए दिन ऑनलाइन उत्पीड़न, चरित्र हनन और अभद्र भाषा का शिकार हो रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि कई मामलों में ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती है। अभद्र भाषा और साइबर बुलिंग के कारण कई महिलाओं और युवाओं को मानसिक तनाव झेलना पड़ता है और कई मामलों में यह उत्पीड़न आत्महत्या जैसी दुखद घटनाओं का कारण भी बन जाता है। फेक न्यूज़, नफरत फैलाने वाले संदेश समाज में अशांति, सांप्रदायिक तनाव को जन्म देते हैं। इन्हें रोकने के लिए सख्त नियमन की आवश्यकता है।

मेरी सरकार से मांग है कि सोशल मीडिया पर गाली-गलौज और अभद्र भाषा को रोकने के लिए सख्त कानून लागू किया जाए, साइबर अपराधों के लिए तेज जांच और दंड प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जाए, सोशल मीडिया कंपनियों को ऐसे कंटेंट्स हटाने और ट्रोल्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बाध्य किया जाए, डिजिटल साक्षरता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जाए, वे साइबर अपराधों की शिकायत कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बताया जाए और महिलाओं और बच्चों के ऑनलाइन संरक्षण के लिए हेल्पलाइन और त्वरित कार्रवाई तंत्र स्थापित किया जाए।

माननीय उपसभापति महोदय, यदि इस समस्या पर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाये गये, तो यह समाज में वैमनस्यता और असुरक्षा का वातावरण बना सकता है। अतः मैं आपके माध्यम से अनुरोध करती हूँ कि इस गंभीर मुद्दे पर सरकार अविलंब ध्यान दे और आवश्यक नीतिगत निर्णय ले, धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Dr. Kalpana Saini: Shri Pradip Kumar Varma (Jharkhand), Shri Mayankbhai Jaydevbhai Nayak (Gujarat), Shri Mahendra Bhatt (Uttarakhand), Smt. S. Phangnon Konyak (Nagaland), Shrimati Sumitra Balmik (Madhya Pradesh), Shrimati Geeta alias Chandraprabha (Uttar Pradesh), Shri Babubhai Jesangbhai Desai (Gujarat), Shri Aditya Prasad (Jharkhand), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Shri Govindbhai Laljibhai Dholakia (Gujarat), Shri Devendra Pratap Singh, (Chhattisgarh), Ms. Indu Bala Goswami (Himachal Pradesh), Shri Rambhai Harjibhai Mokariya, (Gujarat), Shri Madan Rathore (Rajasthan), Shri Mission Ranjan Das (Assam), Shri Deepak Prakash (Jharkhand), Shri Jose K. Mani (Kerala), Ms. Kavita Patidar (Madhya Pradesh), Shri Ram Chander Jangra (Haryana), Shri Naresh Bansal (Uttarakhand), Dr. Sumer Singh Solanki (Madhya Pradesh), Smt. Ramilaben Becharbhai Bara, (Gujarat), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Sujeet Kumar, (Odisha).

Shrimati Priyanka Chaturvedi; not present. Dr. Medha Vishram Kulkarni, 'Demand to connect Pune with high speed trains.'

Demand to connect Pune with high speed trains

डा.मेधा विश्राम कुलकर्णी (महाराष्ट्र): उपसभापति महोदय, मैं आपका ध्यान पुणे की रेल कनेक्टिविटी की समस्या और हाई स्पीड ट्रेन की मांग की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ।

पुणे देश में सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक है, जिसे विद्या की नगरी या शिक्षा की नगरी भी कहा जाता है। पुणे एक आईटी हब है, पुणे औद्योगिक और ऐतिहासिक नगरी भी है। पुणे बहुत ही तेजी से विकसित होने वाला शहर है, लेकिन माननीय महोदय, पुणे से दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद जैसे प्रमुख महानगरों तक राजधानी, तेजस और वंदे भारत जैसी उच्च गति ट्रेनें उपलब्ध नहीं हैं। इससे व्यापारियों, छात्रों और यात्रियों को काफी असुविधा होती है। अगर पुणे से दिल्ली की ट्रेन की बात करें, तो वर्तमान में जो ट्रेनें उपलब्ध हैं, उनमें झेलम एक्सप्रेस और गोवा एक्सप्रेस प्रमुख हैं। ये ट्रेनें यह फासला 26 से 28 घंटे में तय करती हैं, जिससे काफी समय व्यर्थ होता है। पुणे से सीधी राजधानी ट्रेन उपलब्ध नहीं है, जिससे यात्रियों को पहले मुंबई जाकर राजधानी पकड़नी पड़ती है। इससे यात्रा का समय और खर्च, दोनों बढ़ जाते हैं। दिल्ली देश की राजधानी है और पुणे भारत के महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। इसलिए, मेरी विनती है कि दिल्ली से बेंगलुरु या दिल्ली से हैदराबाद जाने वाली राजधानी ट्रेनों को प्रतिदिन या सप्ताह में तीन बार पुणे होते हुए चलाया जाए।

मेरी दूसरी मांग यह है कि पुणे से कोलकाता के लिए वर्तमान में सबसे तेज़ ट्रेन हावड़ा आज़ाद हिंद एक्सप्रेस है, जो यह सफर 28 घंटे में तय करती है। इस रूट पर वंदे भारत या तेजस जैसी हाई-स्पीड ट्रेनों की व्यवस्था की जाए, जिससे व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिल सके।